न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–202/13 (आरसीएमएस नं. 2013/00097)

01. कन्हैयालाल पुत्र श्री रामस्वरूप, उम्र 50 साल, जाति ब्राहाम्ण,
02. सुभाष पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र 62 साल, जाति ब्राहाम्ण,
03. बहादुर पुत्र श्री सालगराम उम्र 55 साल, जाति ब्राहाम्ण,
04. मुकेश पुत्र श्री जयनारायण उम्र 35 साल, जाति ब्राहाम्ण,
05. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 48 साल,
06. दिनेश पुत्र जयनरायण पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 40 साल, समस्त निवासी मसीत हाल निवासी मढलाना, तहसील नारनोल, जिला महेन्द्रगढ

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. रामदयाल पुत्र श्री रामजीवन जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम मसीत हाल आबाद हथिया, जिला मुथुरा उत्तर प्रदेश।
02. उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर।
03. ग्राम पंचायत मसीत सब तहसील टपूकड़ा, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।

––असल रेस्पोडेन्ट्स

04. बहादुर मल पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 55 साल,
05. सतबीर पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 50 साल,
06. गुरदयसाल पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 42 साल,
07. बनवारी पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 40 साल,
08. भूरू मल पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 38 साल,
09. राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 38 साल,
10. जयप्रकाश पुत्र जयनारायण पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 55 साल,
11. राजेश पुत्र बाबूलाल पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 40 साल,
12. सूर्यदेव पुत्र बाबूलाल पुत्र स्व. श्री रामजीवन उम्र 35 साल, जातियान ब्राहाम्ण निवासीयान मसीत हाल मढलाना तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–203/13 (आरसीएमएस नं. 2013/00098)

01. कन्हैयालाल पुत्र श्री रामस्वरूप, उम्र 50 साल, जाति ब्राहाम्ण,
02. सुभाष पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र 62 साल, जाति ब्राहाम्ण,
03. बहादुर पुत्र श्री सालगराम उम्र 55 साल, जाति ब्राहाम्ण,
04. मुकेश पुत्र श्री जयनारायण उम्र 35 साल, जाति ब्राहाम्ण,
05. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 48 साल,
06. दिनेश पुत्र जयनरायण पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 40 साल, समस्त निवासी मसीत हाल निवासी मढलाना, तहसील नारनोल, जिला महेन्द्रगढ

––अपीलान्ट्स

बनाम

P.T.O.

01. नायब तहसीलदार टपूकड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
02. रामदयाल पुत्र श्री रामजीवन जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम मसीत हाल आबाद हथिया, जिला मुथुरा उत्तर प्रदेश।

——असल रेस्पोडेन्ट्स

04. बहादुर मल पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 55 साल,
05. सतबीर पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 50 साल,
06. गुरदयसाल पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 42 साल,
07. बनवारी पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 40 साल,
08. भूरू मल पुत्र स्व. श्री सालगराम पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 38 साल,
09. राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 38 साल,
10. जयप्रकाश पुत्र जयनारायण पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 55 साल,
11. राजेश पुत्र बाबूलाल पुत्र स्व. रामजीवन उम्र 40 साल,
12. सूर्यदेव पुत्र बाबूलाल पुत्र स्व. श्री रामजीवन उम्र 35 साल, जातियान ब्राहाम्ण निवासीयान मसीत हाल मढलाना तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 29.05.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील संख्या 202/13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर के आदेश दिनांक 22.02.2011 (प्रकरण संख्या 32/08) के विरूद्ध एवं अपील संख्या 203/13 न्यायालय नायब तहसीलदार टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर के आदेश दिनांक 26.09.2012 (प्रकरण संख्या 5/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की क्रमशः 76 एवं धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई। दोनो अपीलों में वादग्रस्त एक ही होने के कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स के बुजुर्गो की आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.17 हैक्टयर में से 0.08 खसरा नम्बर 61 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 487 रकबा 0.10 हैक्टयर सालिम वाके ग्राम मसीत तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है जो कि आराजी विरासत की है जिस आराजीयात का अमल कागजात माल व जमाबन्दी हाल में हमारे दादा रामजीवन पुत्र रूपराम के नाम बदस्तुर चला आ रहा है जिसका स्वंगवास हो गया है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के बुजुगों का पुश्तैनी मकानात व आराजी गॉव मसीत में स्थित है, रामजीवन दादा का स्वर्गवास आसोज बदी छट विक्रम सम्वत् 2008 गॉव मडलाना तहसील

P.T.O.

नारनोल में हो गया, उक्त आराजी पर अर्सा दराज से बुजुगों के समय से काश्त करते चले आ रह है, मौके पर आराजी पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स की कब्जा है, कभी बटाई पर आराजी दे दी जाती रही है तो कभी स्वयं अपीलान्ट्स खर्चा करके फसल पैदावार काश्त करते है, इस समय उक्त आराजी को भीमसिंह पुत्र श्री मोहरसिह जाति अहीर, जगदीश पुत्र श्री मंगलराम जाति अहीर व अन्य ग्राम के जानकार परिवार को दे रखी है, अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स अपने करोबार व बच्चो की पढाई लिखाई की वजह से बाहर रहते है तथा समय–समय पर गांव में आकर मकानात व आराजीयात की देखरेख करते चले आ रहे है।

अधिवक्ता अपीलन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट रामदयाल का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है, और ना ही कोई उसकी रिहायश गॉव मसीत में है जो अपीलान्ट के दादा की वल्दियत बताकर नाजायज फायदा उठाने हेतु बैईमानी पूर्वक आराजी को हड़प करने की नियत व गरज से गत प्रकार से ग्राम पंचायत मसीत में बाला–बाला बिना अपीलान्ट को जानकारी दिये आराजीयात का नामान्तरकरण खुलवाने की कार्यवाही की गई जिससे ग्राम पंचायत मसीत ने दिनांक 05.03.2008 को नामान्तरकरण खारिज कर दिया जिसकी रेस्पोडेन्ट रामदयाल ने अपील उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहॉ अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को बिना पक्षकार बनाये ही अपील दायर कर दिनांक 22.02.2011 को ही बाला–बाला रिमाण्ड की गई जिसमें अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गये थे जिस रिमाण्ड के आधार पर नायब तहसीलदार टपूकडा ने भी मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को कोई सूचना नही जारी की गई और एकतराफा विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2012 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट को उक्त दोनों आदेशों की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही रही है क्योंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपीलान्ट्स एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स को पक्षकार नही बनाया गया। इन सब हालात की जानकारी दिनाक 27.12.12 को प्राप्त हुई कि रामजीवन की वल्दीयत का नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट रामदयाल ने कार्यवाही की है जबकि रामजीवन मृतक के वारिसान काबिज जायदाद अपीलान व तरतीबी रेस्पोडेन्ट ही है जो कि रामजीवन मृतक के सजरा के मुताबिक विरासत प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है जबकि रामदयाल ने रामजीवन का फर्जी पुत्र बनकर फर्जीकारी की कार्यवाही की है तथा कथित रामदयाल का अपीलान्टन के दादा से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही था और ना ही मौजूदा में है। उन्होने आगे कथन किया है कि सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के समक्ष अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत दावा इश्तकरारहक मय हुक्मदमतनाई दवामी के निर्णय दिनांक 29.03.16 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर दर्ज रेस्पोडेन्ट रामदयाल पुत्र रामजीवन का नाम कलमजन किया जाकर अपीलान्ट के पूर्वज रामजीवन पुत्र रूपराम के नाम जर्द किये जाने के आदेश दिये गये है जिससे भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट रामदयाल का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि फर्जी विरासत प्रमाण पत्र के आदेश अदालत तहत के निर्णय पारित किया है जिसकी बाबत मिन अपीलान्ट को कोई सूचना जारी नही की है और ना ही ग्राम पंचायत मसीत से कोई वारिस होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुई और ना ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ही प्राप्त हुआ है, ऐसी सूरत में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों मौजूदा आदेश व कथित नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य जिन्हे खारिज फरमाया जावें और रामजीवन मृतक की कुल आराजी का विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टस के हक में बहिस्सा बराबर–बराबर अमल किये जाने का हुक्म सादिर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्तों की कोई पालना नही की है, ना ही रेस्पोडेन्ट रामदयाल के शपथ पूर्वक कोई बयान दर्ज किये है और ना हा कोई गॉव के मौजिज व्यक्ति से इन्क्वायरी कर विरासत की बाबत जानकारी हांसिल की है, ना ही कोई दस्तावेज से ही प्रकट हुआ है कि मृतक रामदयाल गॉव मसीत का रेस्पोडेन्ट रामदया का वारिसा है इन सभी तथ्यों के बारे में कोई जॉच नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2011 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2012 व दिनांक 05.10.2012 को निरस्त फरमया जावें तथा अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.17 हैक्टयर में से 0. 08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 62 रकबा 0. 05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 487 रकबा 0.10 हैक्टयर सालिम वाके ग्राम मसीत तहसील तिजारा जिला अलवर का अपील के पैरा संख्या 4 के सजरे के मुताबिक 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 बहिस्से बराबर खोले जाने के आदेश फरमाये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपीलान्ट्स आवश्यक पक्षकार होने के उपरान्त भी उन्हे को पक्षकार नही बनाया गया है जिससे अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों की जानकारी पूर्व में नही हो सकी, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स के दोनों प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी

आयुक्त

जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट रामदयाल द्वारा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के समक्ष बिना पक्षकार बनाये ही अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 22.02.2011 रिमाण्ड किया गया जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टपूकड़ा द्वारा भी अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2012 पारित किये गया है, जो न्याय के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से उन्हे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2011 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2012 एवं नामान्तरकरण संख्या 626 वाके मसीत पर पारित आदेश दिनांक 05.10.2012 को निरस्त किया जाता है। चूँकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के समक्ष अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत दावा के निर्णय दिनांक 29.03.2016 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर दर्ज रेस्पोडेन्ट रामदयाल पुत्र रामजीवन का नाम कलमजन किया जाकर पूर्व खातेदार रामजीवन पुत्र रूपराम के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये ऐसी स्थिति में तहसीलदार तिजारा जिला अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण पूर्व खातेदार रामजीवन पुत्र रूपराम के वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किया जावें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।